रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2015/वैशाख 28, 1937
No. 132] NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2015/VAISAKHA 28, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 18 मई, 2015
सं. 12/2015–20

विषयः पोतलदान पूर्व जांच प्रमाण–पत्रों को जारी करने के संबंध में विदेश व्यापार नीति की प्रक्रिया–पुस्तक 2015–2020 के पैरा 2.55 और 2.56 में संशोधन।

फा. सं. 01/53/162/विविध/पीएसआईए/एएम15/एस–5/आईसी.—सार्वजनिक सूचना सं. 05/2015–20 दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के अधिक्रमण में जिसके द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.55 और 2.56 के प्रावधानों को अगले आदेशों तक आस्थगित रखा गया था तथा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया–पुस्तक के वर्तमान पैरा 2.55 और 2.56 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करते हैं।

पैरा 2.55 पोत–लदान पूर्व जांच एजेन्सी (पीएसआईए) के रूप में मान्यता तथा पोत–लदान पूर्व जांच प्रमाणपत्र (पीएसआईए) जारी करना।

(क) पीएसआईए के संबंध में मान्यता हेतु आवेदन परिशिष्ट 2ठ में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जाए। एएनएफ 2ठ में आवेदन–पत्र स्केन की गई प्रति को संबंधित अनुलग्नकों और दस्तावेजों के साथ डाक द्वारा भेजे जाने के साथ–साथ डीजीएफटी को ई–मेल (psia-dgft@nic.in) पर भेजा जाना चाहिए।

(ख) भारतीय आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 7500/–रु. होगा तथा विदेशी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 200 अमरीकी डालर होगा। इस शुल्क को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय– समय पर संशोधित किया जा सकता है।

(ग) आवेदनों पर एक अन्तर मंत्रालय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(घ) मान्यता प्राप्त पीएसआईए को तीन वर्षों के लिए वैध एक मान्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। 3 वर्ष समाप्त होने पर पीएसआईए को और अधिक अवधि के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए एक नया आवेदन देना होगा।

(ड.) पीएसआईए पोत–लदान पूर्व जाँच प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) परिशिष्ट 2ज में दिए गए प्रपत्र में जारी करेगा। पीएसआईसी में पीएसआईए को विशिष्ट रूप से अंकित होलोग्राम भी होगा।

(च) एक पीएसआईए अपने प्रचालन क्षेत्र के अन्दर आने वाले देशों जहाँ इसका पूर्णकालिक सुज्जित कार्यालय नहीं है वहां अपने निरीक्षकों को तैनात करके निरीक्षण कर सकता है। तथापि, दूसरे देशों में ऐसे निरीक्षण करने के लिए पीएसआईए को डीजीएफटी को (psic-dgft@nic.in) पर ई–मेल भेजकर पूर्व सूचना भेजना तथा पीएसआईसी के निरीक्षक द्वारा किए गए दौरा/निरीक्षण का विवरण देना।

पैरा 2.56 पीएसआईए, आयातक और निर्यातक की जिम्मेदारी और देयता

(क) पीएसआईए के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए यदि पीएसआईसी में कोई गलत घोषणा अथवा आवेदन पत्र में कोई गलत घोषणा की जाती है, तो पीएसआईए मान्यता के निलंबित/रद्द करने के अलावा यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डनीय कार्रवाई का उत्तरदायी होगा।

(ख) आयातक और निर्यातक संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होंगे कि आयातित माल पीएसआईसी में दी गई घोषणा के अनुसार है। किसी गलत घोषणा के मामले में, वे यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दण्डनीय कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

(ग) पीएसआईए द्वारा डीजीएफटी की वेबसाइट पर पीएसआईसी की स्केन्ड प्रति (पीडीएफ फार्मेट में) अपलोड की जाएगी अथवा डीजीएफटी को (psic-dgft@gov.in पर) ई–मेल की जाएगी।

(घ) पीएसआईए किए गए निरीक्षण के फोटो अथवा वीडियो बनाएगा जिसमें निम्नलिखित कार्यकलापों/विवरण को विधिवत प्रस्तुत किया जाएगाः

(i) पीएसआईए निरीक्षक (अनिवार्य रूप से) तथा निर्यातक/आयातक के प्रतिनिधियों, यदि उपलब्ध हो (वैकल्पिक रूप से) के साथ निरीक्षण के स्थान का फोटो अथवा वीडियो क्लिपिंग, जिसमें निरीक्षण का समय, दिनांक को दर्शाना (न्यूनतम एक फोटो अथवा वीडियो क्लिपिंग) शामिल है;

(ii) परीक्षण उपकरण (उपकरणों) के फोटो अथवा विडियो क्लिपिंग;

(iii) निरीक्षण के लिए प्रयुक्त कंटेनरों को भरने की प्रक्रिया के फोटो अथवा वीडियो जिसमें कंटेनर संख्या को दर्शाया (प्रत्येक कंटेनर की न्यूनतम एक फोटो अथवा विडियो क्लिपिंग) जाना चाहिए;

(iv) सीलिंग प्रक्रिया का फोटोग्राफ अथवा वीडियो क्लिपिंग (प्रत्येक कंटेनर का न्यूनतम एक फोटो अथवा वीडियो क्लिपिंग)।

(ङ.) पीएसआईए द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से फोटोग्राफ और अथवा वीडियो क्लिपिंग [उपर्युक्त पैरा 2.56 (घ) के अनुसार] तथा पीएसआईएस को डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा अथवा पीएसआईए के पंजीकृत ईमेल द्वारा psic-dgft@gov.in को भेजा जाएगा। जब तक डीजीएफटी वेबसाइट के लिंक का प्रचालन किया जाए तब तक पीएसआईसी और फोटो/वीडियो को डीजीएफटी को ई–मेल (psic-dgft@gov.in पर) किया जाएगा।

(2) प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.55 और 2.56 में निर्धारित प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर सूचित किया है, दिनांक 01.07.2015 से लागू होगी।

(3) प्रक्रिया पुस्तक 2009–14 के पैरा 2.32.2क (ङ.) के परिशिष्ट 5–ख में यथा निर्धारित प्रारूप में पूर्व–पोतलदान निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) को जारी करने के लिए प्रक्रिया, जो प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–I, 2009–14 के पैरा 2.32.2क और 2.32.2ख में निर्धारित की गयी है, 30.06.2015 तक प्रभावित रहेगी।

(4) विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.55 में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा पीएसआईए (01.04.2015 में यथानिर्धारित) को विभिन्न देशों इत्यादि में अपने कार्यालयों/शाखाओं/प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण को अद्यतन करने तथा अपने प्रचालन क्षेत्र में विस्तार में, यदि ऐसा करना वांछित हो, विस्तार करने हेतु अपने नए आवेदन एएनएफ 2ठ में भरकर 8 जून, 2015 तक प्रस्तुत करने होंगे। नए आवेदन जो पोतलदान पूर्व निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए अपना आवेदन भी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.55 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नए आवेदक जो (दिनांक 01.07.2007 से) पोतलदान पूर्व निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) के रूप में मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे 8 जून, 2015 तक एएनएफ 2ठ में निर्धारित प्रपत्र (नए प्रारूप) में भी आवेदन कर सकते हैं।

(6) पीएसआईए के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन का संशोधित प्रारूप (एएनएफ 2ठ) तथा पीएसआईसी का संशोधित प्रारूप (परिशिष्ट 2ज) इस सार्वजनिक सूचना के क्रमशः अनुलग्नक क और अनुलग्नक ख में संलग्न है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव

(i) पूर्व–पोतलदान निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) को जारी करने के लिए पूर्व–पोतलदान निरीक्षण एजेंसी द्वारा अनुसरण किए जाने वाली संशोधित प्रक्रिया को दिनांक 01.07.2015 से अधिसूचित कर दिया गया है।

(ii) दिनांक 30.06.2015 तक अन्तरवर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, पीएसआईए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड I, 2009–14 के परिशिष्ट 5ख में निर्धारित प्रारूप में प्रक्रिया पुस्तक खण्ड I, 2009–14, के पैरा 2.32.2क और 2.32.2ख में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व–पोतलदान निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) को जारी करने की अनुमति दी जाती है।

(iii) प्रचालन आदि के क्षेत्र में मान्यता/विस्तार के लिए मौजूदा पीएसआईए द्वारा साथ ही नए आवेदकों द्वारा आवेदन के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया गया है।

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना सं. 12/2015-20 का अनुलग्नक-क **दिनांकः 18 मई, 2015**

आयात निर्यात प्रपत्र-2ठ

धातु स्क्रैप के लिए पूर्व पोतलदान निरीक्षण एजेन्सी के रूप में मान्यता के लिए आवेदन

(प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 2.55 देखें)

1.1	**एजेन्सी का नाम**	
1.2	**मुख्यालय का पता***	
1.3	**अदा किए गए आवेदन शुल्क का विवरण**	**डी.डी./ बैंक रसीद सं. .... दिनांक ....** **राशि ....** **बैंक का नाम और इसकी शाखा जिससे आहरण किया गया है।**

*पता का प्रमाण आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए।

2. **धातु स्क्रैप की जाँच के लिए अनिवार्य जाँच उपकरण/मशीनरी**

तालिका 2.1

क्रम सं.	उपकरण का विवरण	बनावट और मॉडल नं.	विशिष्ट सं.
i.	हाथ से चलने वाले विकिरण सर्वेक्षण मीटर		
ii.	रेडियो नाभिकीय आइडेंटीफाईयर		
iii.	तरल/प्लास्टिक/चूर्ण/कण/ठोस/ धात्विक तथा गैर धात्विक स्क्रैप/ अपशिष्ट का पता लगाने में सक्षम विस्फोटक ढूंढने वाली प्रणाली		

अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो, अलग कागज पर संलग्न करें

विशिष्ट संख्या दर्शाते हुए औजारों का फोटोग्राफ अवश्य संलग्न करें जिसे डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके । औजारों का खरीद बीजक अवश्य संलग्न करें ।

2.2 **प्रयोगशाला सुविधाओं सहित उपलब्ध अन्य उपकरण सूचीः**

तालिका 2.2

क्रम सं.	उपकरण/प्रयोगशाला सुविधा	क्षमता	विशिष्ट सं.
1.	हाथ से चलने वाले विकिरण सर्वेक्षण मीटर		
2.	रेडियो नाभिकीय आइडेंटीफाईयर		
3.	तरल/प्लास्टिक/चूर्ण/कण/ठोस/ धात्विक तथा गैर धात्विक स्क्रैप/ अपशिष्ट का पता लगाने में सक्षम विस्फोटक ढूंढने वाली प्रणाली		

विशिष्ट संख्या दर्शाते हुए औजारों का फोटोग्राफ अवश्य संलग्न करें जिसे डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके ।

औजारों का खरीद बीजक अवश्य संलग्न करें ।

3. **सदस्यताः**

क्रम सं.	संगठन का नाम	कब से सदस्य हैं
i.	इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंस्पैक्शन एजेन्सीज (आई एफ आई ए), लंदन	
ii.	इन्स्टीच्यूट ऑफ स्क्रैप रिसाइक्लिंग इन्डस्ट्रीज (आई एस आर आई) वाशिंगटन डी सी	
iii.	ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइक्लिंग, बेल्जियम	
iv.	मेटल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डिया	

सदस्यता दर्शाने के लिए कृपया ऐसे दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें ।

4. **धातु निरीक्षण में अनुभव**

पिछले पाँच वर्षों में जाँच किए गए धातु स्क्रैप की मात्रा (मी.टन में)/गन्तव्य देशवार

तालिका 4.1 फैरस स्क्रैप के लिए

क्रम सं.	निर्यात करने वाला देश	गन्तव्य देश	पिछले वर्षों में जांच किए गए धातु स्क्रैप की मात्रा					
			वर्ष 5	वर्ष 4	वर्ष 3	वर्ष 2	वर्ष 1	योग
1. 2.								
3.								
4.								
	कुल योग :							

तालिका 4.2 नॉन फैरस स्क्रैप के लिए

क्रम सं.	निर्यात करने वाला देश	गन्तव्य देश	पिछले पांच वर्षों में जांच किए गए गैर-फेरस स्क्रैप की मात्रा					
1.			वर्ष 5	वर्ष 4	वर्ष 3	वर्ष 2	वर्ष 1	योग
2.								
3.								
4.								
	कुल योग :							

5. **कम्पनी की पिछली वार्षिक रिपोर्ट/तुलन पत्र की प्रति संलग्न करें ।**

6. **<u>प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संचालन का निर्दिष्ट क्षेत्र</u>**

7. मुख्य कार्यालय का पता ....

7.1 शाखा कार्यालयों का पता/पते ....

(जहां से निरीक्षण किया जाएगा)

(क) पी एस आई ए के संचालन का क्षेत्र एजेंसी की क्षेत्र स्थिति के अनुसार होगा और एजेंसी को उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले अपने सभी कार्यालयों के पते घोषित करने होंगे ।

(ख) एजेंसी अपने प्रचालन के क्षेत्रों के भीतर देश के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होगी ।

(ग) अन्य देशों में निरीक्षण के लिए, पीएसआईए को डीजीएफटी को पूर्व में सूचना देनी होगी। निरीक्षक द्वारा दौरा तथा किए गए निरीक्षण का साक्ष्य/ब्यौरा भी प्रदान करना होगा।

8. **मानव शक्तिः जाँच करने वाले व्यक्तियों/निरीक्षकों जो निरीक्षण करेंगे का विवरणः**

जांचकर्त्ता अधिकारी की न्यूनतम योग्यता 10+2 /विज्ञान के साथ वशिष्ट उच्च विद्यालय (भौतिकी और रसायन) से कम न हो ।

क्रम सं0	तकनीकी व्यक्ति(यों) का नाम	पता	राष्ट्रीयता	फोन नं.	ई मेल पता	योग्यता	धातु अपशिष्ट की जाँच में अनुभव

कर्मचारी की योग्यता का प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट की स्कैन्ड प्रति संलग्न करें।

8.1 क्या आपको जाँच कार्यकलाप करने के लिए भारत सरकार अथवा किसी अन्य सरकारों द्वारा विवर्जित/असूचीबद्ध किया गया है । यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें ।

8.2 क्या आपके विरुद्ध किसी अन्य देश/न्यायिक प्राधिकरण में कोई न्यायिक/ अर्द्ध न्यायिक कार्रवाई चल रही है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें ।

----

9. **एजेंसी द्वारा जमा 10 लाख रू. या 20000 अमेरिकी डालर की बैंक गारंटी का ब्यौरा डीडी/बैंक रसीद सं........... दिनांक........... राशि ....**

बैंक का नाम और इसका शाखा जहां आहरित है।

घोषणा पत्र

(1) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/ करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है ।

(2) मैं/हम पूर्णतया समझता हूं/ समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या छूठी साबित होगी तो मुझे/ हमें बैंक गारंटी जब्त कर लिए जाने और कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़े सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो ।

(3) मैं/ हम एतद्द्व शपथ लेता हूं/ लेते हैं कि यदि यह पाया गया कि खेप स्क्रैप नहीं है अथवा इसमें निषिद्ध मदें मौजूद हैं, तो मुझे मान्यता प्रमाण-पत्र के निलंबर/ निरस्तीकरण के साथ-साथ 10 लाख रूपए (यदि भारत में आधारित हो) अथवा 20,000 अमरीकी डालर (यदि विदेश में आधारित हो) का दण्ड अदा करना होगा ।

(4) मैं/हम विदेश व्यापार नीत, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2 और निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के तहत बने नियमों व आदेशों , विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का पालने करने की शपथ लेता हूं/ लेते हैं ।

(5) मैं/ हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/ करते हं कि कोई भी स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) कर्ता/ फर्म का न्यासी/ कम्पनी, जैसा कि मामला हो, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म/ कम्पनी में स्वामी/साझीदार (साझीदारों) / निदेशक (निदेशकों) कर्ता/ न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशालय की जानकारी में प्रतिकूल है ।

(6) मैं / हम सत्यापित करता हूं/ करते हैं कि फर्म/ कम्पनी का स्वामी/साझीदार/निदेशक/कर्ता/न्यासी, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसी अन्य फर्म/कम्पनी में स्वामी / साझीदार/निदेशक/कर्त्ता/ न्यासी के रूप में सम्बद्ध नहीं है जो भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी सूची में आती है ।

(7) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि पैरा 2 के अनुसार धातु स्क्रैप की जांच के लिए विकिरण जांच उपकरण/मशीनरी की विनिर्माता के विनिर्देशनों के अनुसार आवधिक रूप से जांच की जाती है। यह सुनिश्चित नहीं कर पाने की स्थिति में मैं/हम विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा उचित कार्रवाई जैसा भी उचित समझा जाए, के लिए जिम्मेवाद होऊंगा/होंगे।

(8) मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.06 के अनुसार मैं इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं ।

आवेदक के हस्ताक्षर नाम पदनाम कार्यालय का पता दूरभाष आवासीय पता ई-मेल पता	स्थान दिनांक

सील

आयात निर्यात प्रपत्र 2ठ का अनुलग्नक-1

उपकरण का ब्यौरा

हस्त सर्वेक्षण मीटर

माडॅल	बनावट (विनिर्माता का नाम और पता)	क्रम सं.	जांच की आखिरी तारीख	मानीटर उर्जा श्रेणी 60 केईवी से 1.33 एमईवी (फ्लैट उर्जा प्रत्युत्तर) में उपयुक्त है अथवा नहीं	*मानीटर 1 यूरेम प्रति घंटे से मात्रा दर के लिए उपयुक्त है या नहीं	मानीटर का प्रत्युत्तर समय (सेकेण्ड में)	एलार्म (दृश्य श्रव्य) सेटिंग मानीटर (सेकेण्ड में) का प्रावधान
				हाँ/नहीं		हाँ/नहीं	हाँ/नहीं

सुवाह्य स्पेक्ट्रोमीटर

मॉडल	बनावट (विनिर्माता का नाम और पता)	क्रम सं.	स्वजांच का प्रावधान	उपकरण उर्जा श्रेणी 40 केईवी 40 से 3.0 एमईवी में उपयुक्त है या नहीं	मानीटर 1 म्यूरेम प्रति घंटे से मात्रा दर के लए उपयुक्त है या नहीं	वास्तविक स्पेक्ट्रम प्रदर्शन	पीसी में स्पेक्ट्रम की स्टोरेज और अंतरण	1 म्यूरेम प्रति घंटे (सेकण्ड में) के विकिरण स्तर में सीएस-137 स्त्रोत की पहचान करने में लिया गया समय	सीओ 60, सीएस 137, आईआर 192, एनओआरएम जैसे सामान्य रूप से सामना किए गए रेडियो न्यूक्लाइ-डस की स्वतः पहचान	अलार्म (दृश्य श्रण्य) सेटिंग के लिए प्रावधान
			हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं	हाँ/नहीं		हाँ/नहीं	हाँ/नहीं

* प्रत्युत्तर समयः यह मीटर रीडिंग को स्थिर करने हेतु रेडिएशन मानीटर द्वारा लिया गया समय है (विशेष रूप से इसे प्राकृतिक पृष्ठभूमि स्तरों पर फील्ड इंस्ट्रमेन्ट के लिए 2-3 सकेण्ड का होना चाहिए।)

टिप्पणीः व्यावहारिक प्रयोजन के लिए (सम्पूर्ण शरीर प्रभाव के साथ गामा विकिरण):

1uR=1urem=0.01uGy=0.01uSv=10nSv

सार्वजनिक सूचना सं. 12 /2015-20 का अनुलग्नक-ख **दिनांकः 18 मई, 2015**

परिशिष्ट 2-ज

पोतलदान पूर्व जांच प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह पोतलदान-पूर्व जांच प्रमाण पत्र धात्विक अपशिष्ट और छीजन के श्रेडेड, अन्श्रेडेड, सम्पीड़ित और खुले रूप के आयात के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54 के संबंध में जारी किया गया है ।

मैं एतद्द्वारा निम्नानुसार विवरण प्रमाणित करता हूं :

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/ करते हैं कि मैंने खेप की प्रत्यक्ष रूप से जांच कर ली है और निम्नलिखित को प्रमाणित करता हूं :

(क) आयात खेप ऐसे वर्गीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार वास्तव में धात्विक छीजन/पुरानी/दोषपूर्ण है ।

(ख) खेप में संयुक्त राष्ट्र संघ वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी-7 के रूप में वर्गीकृत आयनीकरण विकिरण से संबंधित कोई निशान और/या खतरनाक माल के परिवहन से संबंधित कोई निशान नहीं है।

(ग) आयातक का विवरण निम्नानुसार है:

(i) नाम ....

(ii) पता ....

(iii) आयातक निर्यातक कोड सं. ....

(iv) दूरभाष नं. .... (मोबाइल)............................

(v) ई-मेल ....

(घ) निर्यातक का विवरण निम्नानुसार हैः

(i) नामः ....

(ii) पताः ....

(iii) दूरभाषः .... (मोबाइल)..........................

(iv) ई-मेलः ....

(ड.) छीजन का प्रकार : श्रैडेड/अन्श्रैडेड

(च) आयात का विवरण और मात्राः

धात्विक स्क्रैप का विवरण

क्रम सं.	कंटेनर सं.	सील सं.	मात्रा (मीट्रिक टन में)	बैकराउंड रेडिएशन स्तर	कंटेनर रेडिएशन स्तर
				(µSv/h)	(µSv/h)

***टिप्पणी 1** : पीएसआईए/निर्यातक द्वारा लगाई गई सील का नम्बर

टिप्पणी 2 : उन मामलों में जहां पर निर्यातक देश के सीमा-शुल्क विभाग ने सील (कंटेनर के निरीक्षण के बाद) लगा दी है, लदान बिल पर दर्शाए गए परिवर्तन लागू होंगे।

(छ) (i) जांच का देश ....

(ii) जांच का स्थान ....

(iii) जांच की तारीख ....

(iv) जांच की अवधि (घण्टों में).......... से ....तक

(v) यदि उस देश में जांच की जाती है जहाँ पीएसआईए का सुसज्जित शाखा कार्यालय नहीं है तो ई-मेल द्वारा पूर्व सूचना की तारीख (psia-travel-dgft@nic.in) पर ___

(ज) प्रयोग किए गए विकिरण सर्वेक्षण मीटर का ब्यौरा:

- बनावट-
- माडल-
- क्रम सं.-
- अंशांकन की अन्तिम तारीख-

घोषणा

(1) खेप में, प्रयोग किया गया अथवा नहीं किया गया किसी भी प्रकार का हथियार, गोलाबारूद, माइन्स, शैल्ज, कार्टरिज या किसी भी रूप में कोई अन्य विस्फोटक सामग्री नहीं हो और कि खेप की विकिरण स्तर के लिए जांच गई थी और इसमें प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अतिरिक्त विकिरण स्तर (गामा और न्यूट्रॉन) नहीं है । **खेप का विकिरण स्तर स्वीकृत मात्रा के भीतर हैं और भारत में निर्यात किए जाने हेतु उपयुक्त है।**

(2) निरीक्षण की विधिवत रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट और पीएसआईसी की स्कैन की गई प्रति के साथ की गई जांच के फोटोग्राफ वीडियो क्लिप को डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है/डीजीएफटी को ई-मेल (psia-dgft@nic.in पर) कर दिया गया है।

(3) मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करते हैं कि इस प्रमाण-पत्र में दिए गए विवरण और कथन सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है ।

दिनांक .... हस्ताक्षर..........................

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ....

पीएसआईए की मुहर

पीएसआईए का विशेष संख्या का होलोग्राम

पदनाम ....

पता (कार्यालय) ....

ई-मेल ....

दूरभाष सं. ....

पीएसआईए का नाम (परिशिष्ट 2छ के अनुसार) ....

पता..

दूरभाष सं. ....

ई-मेल ....

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th May, 2015

No. 12/2015-20

Subject: Amendment in para 2.55 and 2.56 of Handbook of Procedures of FTP 2015-20 regarding issue of Pre Shipment Inspection Certificates.

F. No. 01/53/162/Misc/PSIA/AM15/S-5/IC.—In supersession of Public Notice No. 5/2015-20 dated 10th April 2015 through which provisions of para 2.55 and para 2.56 of Handbook of Procedures, 2015-20 were kept in abeyance till further orders and in exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Director General of Foreign Trade hereby substitutes the existing para 2.55 and para 2.56 of Handbook of Procedures of FTP 2015-20 as under:

"Para 2.55 Recognition as Pre-shipment Inspection Agency (PSIA) and issuance of Pre-Shipment Inspection Certificate (PSIC)

(a) Applications for recognition in respect of PSIAs have to be made in proforma prescribed in ANF 2L. The scanned copy of application in ANF 2L, along with relevant annexures and documents should be sent by e-mail to DGFT (at psia-dgft@nic.in), in addition to sending the same by post.

(b) For applicants based in India application fee will be Rs. 7500/- and for applicants based abroad the application fee will be US $200. The fees may be amended from time to time by DGFT.

(c) The applications will be considered by an Inter- Ministerial Committee.

(d) The recognized PSIAs will be notified under Appendix 2G for a period of three years. At the end of 3 years PSIA has to make a fresh application for further recognition.

(e) PSIA shall issue Pre-Shipment Inspection Certificate (PSIC) in the format given in Appendix 2H. PSIC would also carry uniquely numbered hologram of the PSIA.

(f) A PSIA can also carry out inspections in countries, where it does not have a full time equipped branch office but which falls within its area of operation, by deputing its Inspectors. However, for such inspections in other countries, the PSIA will be required to give prior intimation to DGFT by sending an email (at psia-travel-dgft@gov.in) and furnishing details of visit / inspection done by the Inspector in PSIC.

Para 2.56 Responsibility and Liability of PSIA, Importer and Exporter

(a) In case of any mis-declaration in PSIC or mis-declaration in application form for recognition as PSIA, PSIA would be liable for penal action under Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended, in addition to suspension/ cancellation of recognition.

(b) The importer and exporter would be jointly and severally responsible for ensuring that the material imported is in accordance with the declaration given in PSIC. In case of any mis-declaration, they shall be liable for penal action under Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended.

(c) The scanned copy of the PSIC (in pdf format) shall have to be uploaded by the PSIA on DGFT website or emailed to DGFT (at psic-dgft@gov.in). The certificate shall be issued in prescribed form Appendix 2H.

(d) The PSIA will also be required to take photographs or make video of the inspection carried out, duly capturing the following activities/details:

(i) Photograph(s) or video clipping of the place of inspection with PSIA inspector (mandatory) and representatives of exporter / importer, if available (optional); with time, date of the inspection (at least 1 photograph or video clipping);

(ii) Photograph(s) or video clipping of the testing instrument(s) used for inspection;

(iii) Photograph(s) or video clipping of the process of stuffing of containers showing the container number (at least 1 photograph or video clipping per container)

(iv) Photograph(s) or video clipping of the sealing process (at least 1 photograph or video clipping per container)

(e) The photographs and/or video clippings [as per 2.56 (d) above] and PSIC shall be uploaded on DGFT website by PSIA, through digital signatures or sent to psic-dgft@gov.in through registered e-mail of PSIA. Till such time the DGFT website link is operationalized, the PSIC and photographs/videos will be e-mailed to the DGFT (at psic-dgft@gov.in)."

2. The procedure, as laid down in the amended para 2.55 and para 2.56 of Handbook of Procedures, as indicated above, shall come into effect from 01.07.2015.

3. Till 30.06.2015, the procedure for issue of Pre-Shipment Inspection Certificate (PSIC), in the format as prescribed in Appendix 5-B of para 2.32.2A (e) of HBP 2009-14, as laid down in para 2.32.2A and 2.32.2B of Handbook of Procedure Vol. I 2009-14, would remain effective.

4. The existing PSIAs (as on 01.04.2015) will have to file fresh applications in ANF 2L (new format) latest by 8th June 2015 for updation of details of their offices/branches/authorized representatives in various countries etc. and expansion of their area of operation, if they so desire, as per the above mentioned procedure laid down in revised para 2.55 of HBP of FTP 2015-20.

5. New applicants who desire to be recognised as Pre-shipment Inspection Agencies (PSIAs) (w.e.f. 1.7.2017) may also apply by 8th June, 2015 in proforma prescribed in ANF 2L (new format) as per the above mentioned procedure laid down in revised para 2.55 of HBP of FTP 2015-20.

6. The revised format of application form for recognition as PSIA (ANF 2L) and revised format of PSIC (Appendix 2H) are at Annexure-A and Annexure-B respectively to this Public Notice.

Effect of this Public Notice

(i) Revised procedure to be followed by Pre-shipment Inspection Agencies (PSIAs) for issue of Pre-Shipment Inspection Certificates (PSICs), with effect from 01.07.2015, has been notified.

(ii) To facilitate transitional arrangements, till 30.06.2015, the PSIAs have been allowed to issue Pre-Shipment Inspection certificates (PSICs) as per procedure laid down in para 2.32.2A and 2.32.2B of Handbook of Procedure Vol. I 2009-14, in the format prescribed in Appendix 5-B of Handbook of Procedures Vol. I, 2009-14.

(iii) Procedure for application by the existing PSIAs as well as new applicants for recognition/extension of area of operation etc. has been notified.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Annexure-A to Public Notice No. 12/2015-20 dated 18th May 2015

ANF- 2L

APPLICATION FOR RECOGNITION AS PRE-SHIPMENT INSPECTION AGENCY FOR METAL SCRAP

(Refer Para 2.55 of HBP)

1.1 Name of the Agency	
1.2 Address of Head Office*	
1.3 Details of application fee paid	**D.D./Bank Receipt No.________ Date _________** **Amount ___________** **Name of Bank and its Branch on which drawn**

***Proof of the address must be submitted along with the application form**

2. Mandatory Testing equipments/Machinery for testing metal scrap:

Table 2.1

S.No	Description of Equipment	Make and Model No.	Unique No.
i	Hand held Radiation Survey Meters		
ii	Radio Nuclear Identifier		
iii	Explosives Detection System having ability to detect Liquid / Plastic / Powder / Particles / Solid / Metallic and Non-Metallic Scrap / Waste		

Attach additional information, if required, on separate paper

The photographs of the instruments must be attached, showing the Unique No., which may be uploaded on DGFT website
The Purchase Invoice of the instruments must be attached

2.2 List out any other equipment(s) available including laboratory facilities

Table 2.2

S No	Equipment / Laboratory Facility	Capability	Unique No.
i	Hand held Radiation Survey Meters		
ii	Radio Nuclear Identifier		
iii	Explosives Detection System having ability to detect Liquid / Plastic / Powder / Particles / Solid / Metallic and Non-Metallic Scrap / Waste		

The photographs of the instruments must be attached, showing the Unique No., which may be uploaded on DGFT website
The Purchase Invoice of the instruments must be attached.

3. Membership:

S. No.	Name of the Organisation	Member since
i	International Federation of Inspection Agencies (IFIA), London	
ii	Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) Washington DC	
iii	Bureau of International Recycling, Belgium	
iv	Metal Recycling Association of India	

Please attach a copy of such document to show membership.

4 Experience in metal inspection:

Quantity of metal scrap inspected (in MTs) in the last five years/ destination country–wise

Table 4.1 For Ferrous scrap

S. No.	Exporting Country	Destination country	Quantity of Ferrous Scrap inspected in preceding Years					
			Year 5	Year 4	Year 3	Year 2	Year 1	Total
i ii iii iv								
Grand Total								

Table 4.2 For Non Ferrous scrap

S No	Exporting Country	Destination country	Quantity of Ferrous Scrap inspected in preceding Years					
			Year 5	Year 4	Year 3	Year 2	Year 1	Total
i ii iii iv								
Grand Total								

5. Attach copy of last Annual Report / balance sheet of the Company.

6 Intended Area of Operations for issuance of certificate

7. Address of Head Office. ___________________________________

7.1. Address(es) of Branch Offices ___________________________________

(from where the Inspection
would be carried out) ___________________________________

(a) The area of operation of PSIA would be as per the territory location of the Agency and the Agency is required to declare all its office addresses coming in the area of its jurisdiction.

(b) The Agency shall be authorised to issue the certificate for the country in which it is located.

(c) For inspections to be carried out in other countries, PSIA will be required to give prior intimation to DGFT and also provide evidence of visit by the inspector and the inspection carried out.

8. Manpower: Details of Inspecting persons / inspectors who would carry out inspection:

The minimum qualification of the Inspecting officer should not be less than 10 + 2 / Senior High School with Science (Physics and Chemistry).

S. No.	Names of Technical person(s)	Address	Nationality	Phone No.	E Mail Address	Qualification	Experience in inspection of metal scrap

The Certificate of Qualification of the staff and scanned copy of their passport must be attached.

8.1 Whether you have been debarred /de-listed by Indian Government or other Governments for carrying out inspection activities. If yes, details thereof.

-- ------------------------------

8.2 Whether any judicial / quasi judicial proceedings are pending against you in any country / legal authority. If yes, details thereof.

-- -------------------

9. Details of the bank guarantee of Rs. 10 lakh or US$ 20000 deposited by the Agency
D.D./Bank Receipt No.________ Date _________ Amount ___________
Name of Bank and its Branch on which drawn

Declaration

(1) I / We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from.

(2) I / We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me / us liable for forfeiture of Bank Guarantee and any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

(3) I / We hereby undertake that the in case it is found that the consignment is not scrap or prohibited items are present in it, I would be liable to pay a penalty of Rs.10 lakhs, (if based in India) or US$20,000 (if based in foreign country) and forfeiture of the bank guarantee deposited, in addition to suspension / cancellation of recognition certificate.

(4) I / We undertake to abide by the provisions of the FT (D & R) Act, 1992, the Rules and Orders framed there under, FTP, HBP and Aayat and Niryat Forms and ITC (HS).

(5) I / We hereby certify that none of the Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee of firm / company, as the case may be, is / are a Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee in any other firm / Company which has come to adverse notice of DGFT.

(6) I / We hereby certify that the Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee, as the case may be, of the firm/company is / are not associated as Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee in any other firm / company which is in the caution list of Reserve Bank of India.

(7) I/We hereby declare that all the radiation testing equipment/machinery for testing metal scrap as per para 2 are calibrated periodically as per the specifications of manufacturer. In case of failure to ensure the same, I/We shall be liable for appropriate action by DGFT as deemed fit.

(8) I hereby certify that I am authorised to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.6 of the Foreign Trade Policy.

Signature of the Applicant Name Designation Official Address Telephone Residential Address Email Address	Place Date
	SEAL

Annexure-1 to ANF2L

Details of instruments

Hand held survey meter

Model	Make (name & of manufacturer)	Serial No.	Last date of calibration	Whether the monitor is suitable in the energy range 60 keV to 1.33 MeV (flat energy response)	Whether the monitor is suitable to measure dose rate from 1 µ rem/hour	*Response time of the monitor (in seconds)	Provision for alarm (audio & visual) setting
				Yes/No		Yes/No	Yes/No

Portable Spectrometer

Model	Make (Name & address of manufac-turer)	Serial No.	Provision of self calibration	Whether the equipment is suitable in the energy range 40 keV 40 to 3.0 MeV	Whether the monitor is suitable to measure dose rate from 1 µ rem/ hour	Real Time Spectrum display	Storage and transfer of spectra to a pc	Time taken to identify a Cs-137 source in the radiation level of 1 µ rem/hour (in seconds)	Automatic identification of normally encountered radionuclides like Co60,Cs-137,Ir192,NORM etc.	Provision for alarm (audio & visual) setting
			Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No	Yes/No		Yes/No	Yes/No

*Response time: It is the time taken by a radiation monitor to stabilize the meter reading (typically it should be of the order of 2-3 seconds for field instruments at the natural background radiation levels).

Note: For practical purpose (for gamma radiation with whole body exposure): 1µR=1µrem=0.01 µGy=0.01 µSv=10nSv

Annexure-B to Public Notice No. 12/2015-20 dated 18th May 2015

Appendix-2H

FORMAT OF PRE-SHIPMENT INSPECTION CERTIFICATE

This Pre-Shipment Inspection Certificate is issued in terms of paragraph 2.54 of Handbook of Procedure for import of shredded, un-shredded, compressed and loose forms of metallic waste and scrap.

I, hereby certify the details as below:-

That I/we have visually inspected the consignment and certify the following:

(a) The imported consignment is actually metallic scrap/seconds/defective as per the internationally accepted parameters for such a classification.

(b) The consignment does not contain any symbol related to ionizing radiation and/or any marking related to transport of dangerous goods classified as Class 7 as per United Nations classification.

(c) Details of Importer are as follows:

(i) Name: ______________________________

(ii) Address: _____________________________

(iii) Importer Exporter Code No.______________________________

(iv) Telephone No. _________________________ (Mobile) __________________

(v) E-mail _______________________________

(d) Details of Exporter are as follows:

(i) Name: ______________________________

(ii) Address: _____________________________

(iii) Telephone No. _________________________ (Mobile) __________________

(iv) E-mail _______________________________

(e) Type of Scrap: Shredded / Un-shredded.

(f) Details and quantity of import:

Description of metallic scrap

Sl. No.	Container No.	Seal Number*	Quantity (in MTs)	Background radiation level (µSv/h)	Container radiation level (µSv/h)

*Note 1: Seal Number of the seal affixed by PSIA/Exporter.

Note 2: In cases where the Customs of the exporting country have put seal (after examination of the container) the changes reflected in Bill of Lading shall be applicable.

(g) (i) Country of Inspection ______________________________

(ii) Place of Inspection ______________________________

(iii) Date of Inspection ______________________________

(iv) Duration of inspection (in hours) from ------- to ----------

(v) In case inspection is carried out in a country where PSIA does not have an equipped branch office, then date of prior intimation by e-mail to DGFT (at psia-travel-dgft@gov.in)

(h) Details of radiation survey meter used:

- Make-
- Model-
- Serial no.-
- Last date of calibration-

DECLARATION

(1) The consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, or any other explosive material in any form, either used or otherwise, and that the consignment was checked for radiation level and it does not have radiation levels (gamma and neutron) in excess of natural background. **The radiation level of the consignment is within the accepted range and is fit to be exported to India.**

(2) The photographs / video clip of the inspection carried out, along with duly signed inspection report of the Inspector and scanned copy of this PSIC are being uploaded on DGFT website / e-mailed to DGFT (at psic-dgft@gov.in).

(3) I/We hereby declare that the particulars and statements made in this certificate are true and correct and nothing has been concealed or held there from.

Date ____________

Signature __________________________________
Name of the Authorised Signatory_________________________

Seal of PSIA

PSIA's uniquely numbered hologram

Designation__________________________________
Address (office) _____________________________________
E Mail Address_______________________________
Phone Number_______________________________
Name of the PSIA (as per Appendix 2G) ____________________
Address: _________________
Telephone Number _________________
E mail _______________________

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.